



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

परिवेश भवन, एन.एस-बी/2, पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
पो0-सदाकत आश्रम, पटना-800010

पत्रांक:

पटना, दिनांक:

प्रेषक,

एस0 चन्द्रशेखर, भा0व0से0

सदस्य-सचिव

सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

बेल्फोन भवन, शास्त्री नगर,

पटना-800023.

विषय: मेसर्स बी के इंटरप्राइजेज, प्रस्तावक: श्री ब्रजेश कुमार तिवारी, पूर्वी मोहन बिगहा, डालमियानगर और शुभाष नगर, डेहरी ऑन सोन, रोहतास द्वारा ब्लॉक: 45 (गया लीलाजन नदी बालू घाट सख्या: 07/08/09/10/11) ग्राम-लारु, पीड़ासीन, मंझौली, मखरौर, बहेरा भुरकुंडा, निगरी अंचल: बोधगया, बाराचट्टी, डोभी, जिला-गया में स्थित बालू घाट से बालू उत्खनन कार्य हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0-S.O. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के आलोक में मेसर्स बी के इंटरप्राइजेज, प्रस्तावक: श्री ब्रजेश कुमार तिवारी, पूर्वी मोहन बिगहा, डालमियानगर और शुभाष नगर, डेहरी ऑन सोन, रोहतास द्वारा ब्लॉक: 45 (गया लीलाजन नदी बालू घाट सख्या: 07/08/09/10/11) ग्राम-लारु, पीड़ासीन, मंझौली, मखरौर, बहेरा भुरकुंडा, निगरी अंचल: बोधगया, बाराचट्टी, डोभी, जिला-गया से बालू खनन हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांक: 12.10.2023 को सम्पन्न लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कारवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोपरि।

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मेसर्स बी के इंटरप्राइजेज, प्रस्तावक: श्री ब्रजेश कुमार तिवारी, पूर्वी मोहन बिगहा, डालमियानगर और शुभाष नगर, डेहरी ऑन सोन, रोहतास (ब्लॉक: 45 (गया लीलाजन नदी बालू घाट सख्या: 07/08/09/10/11) ग्राम-लारु, पीड़ासीन, मंझौली, मखरौर, बहेरा भुरकुंडा, निगरी अंचल: बोधगया, बाराचट्टी, डोभी, जिला-गया) को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोपरि।

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

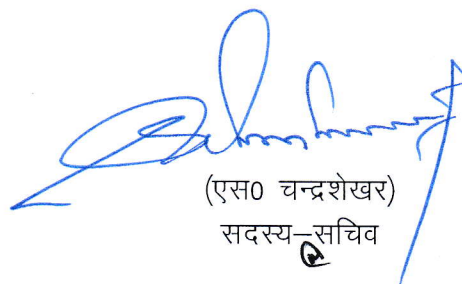
सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :- 2276

पटना, दिनांक :- 06/11/23

प्रतिलिपि:- श्री नीरज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, बि. रा. प्र. नि. पर्षद्, पटना को निदेश है कि दिनांक: 12.10.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति पर्षद् के वेबसाईट पर डिसप्ले कराया जाय। दिनांक: 12.10.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

 06/11/23
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य-सचिव

लोक सुनवाई का वृत्त।

मेसर्स बी के इंटरप्राइजेज, प्रस्तावक: श्री ब्रजेश कुमार तिवारी, पूर्वी मोहन बिगहा, डालमियानगर और शुभाष नगर, डेहरी ऑन सोन, रोहतास (ब्लॉक: 45 (गया लीलाजन नदी बालू घाट सख्या: 07/08/09/10/11) ग्राम-लारू, पीड़ासीन, मंझौली, मखरौर, बहेरा भुरकुंडा, निगुरी अंचल: बोधगया, बाराचट्टी, डोभी, जिला-गया) का गया जिला अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 12.10.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय, बोधगया, जिला-गया के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2463/2023, dated 08.08.2023 के आलोक में श्री अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता, गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दिनांक 12.10.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय, बोधगया, जिला-गया में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 09.09.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, गया द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा (ब्लॉक: 45 (गया लीलाजन नदी बालू घाट सख्या: 07/08/09/10/11) ग्राम- लारू, पीड़ासीन, मंझौली, मखरौर, बहेरा भुरकुंडा, निगुरी अंचल: बोधगया, बाराचट्टी, डोभी, जिला-गया) के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉंगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नितीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री राकेश कुमार सिंह, पता: पीड़ासीन, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू खनन से आमजनों को क्या लाभ मिलेगा इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधों के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा एवं साथ ही बालू खनन से सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगा। इसप्रकार श्री राकेश कुमार सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री कौशल कुमार सिंह, पता: मिंगरी, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोकथाम से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू

		परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा। इसप्रकार श्री कौशल कुमार सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री सुमित कुमार सिंह, पता: मिंगरी, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू खनन होने पर स्थानीय नागरीको को रोजगार मिलने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधों के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार श्री सुमित कुमार सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
4.	श्री अजय कुमार शर्मा, पता: लारू जिला: गया।	इनके द्वारा बालू खनन होने पर स्थानीय नागरीको को रोजगार मिलने एवं सड़क खराब होने से संबंधित प्रश्न पूछा गया एवं सुझाव दिया गया कि बालू खनन सरकार के नियमानुसार किया जाना चाहिए। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधों के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा साथ ही बालू परिवहन के दौरान जो भी ग्रामीण सड़क टूटेगा, उसकी मरम्मत लेसी द्वारा कराया जायेगा। साथ ही सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया। इसप्रकार श्री अजय कुमार शर्मा को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

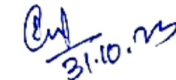
5.	श्री रविशंकर प्रियदर्शी, पता: लारु जिला: गया।	इनके द्वारा बालू उत्खनन के पश्चात् स्थानीय ग्रामीणों को कम दर पर बालू उपलब्ध कराने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही किन्ही को बालू उपलब्ध कराया जायेगा। इसप्रकार श्री शिव कुमार यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
6.	श्री दिव्यांशु शेखर, पता: केदार बिगहा, लारु, जिला: गया।	इनके द्वारा पर्यावरण में सुधार के लिए क्या निति है से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण की रोक-थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगा:-बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस-पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धूलकण का कुप्रभाव न हो। जल प्रदूषण नियंत्रण की रोक-थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगा:-बालू खनन क्षेत्र में बालू की खुदाई 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की रोक-थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगा:-लेसी के द्वारा पुराने वाहनो का संचालन नही करने का निदेश दिया गया एवं साथ ही तीव्र ध्वनि वाले हॉर्न का उपयोग नही करने का निदेश दिया गया। इन सभी कार्यों को करने से पर्यावरण पर कोई

		क्षति नहीं पहुँचेगी तथा बालू खनन से सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इसप्रकार श्री दिव्यांशु शेखर को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
--	--	--

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे, घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर गहराई तक ही करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

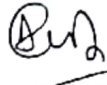
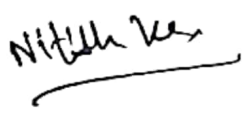
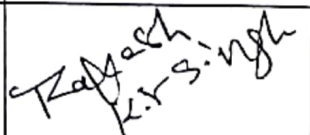
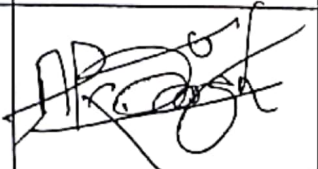
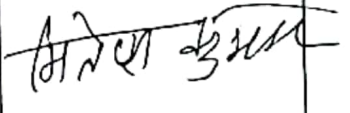
जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


क्षेत्रीय पदाधिकारी
वि.रा.प्र.नि.पर्वद,
गया


अपर समाहर्ता,
गया

उपस्थिति सूची

मेसर्स बी के इंटरप्राइजेज, प्रस्तावक: श्री ब्रजेश कुमार तिवारी, पूर्वी मोहन बिगहा, डालमियानगर और शुभाष नगर, डेहरी ऑन सोन, रोहतास (ब्लॉक: 45 (गया लीलाजन नदी बालू घाट सख्या: 07/08/09/10/11) ग्राम- लारु, पीड़ासीन, मंझौली, मखरौर, बहेरा भुरकुंडा, निगरी अंचल: बोधगया, बाराचट्टी, डोभी, जिला-गया) का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 12.10.2023 को 03:00 बजे अपराह्न में अंचल कार्यालय, बोधगया, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अंजलि कुमार	अपट समुदाय गया	 12-10-23
2.	मनीष कुमार सिंह	श्रीम पद्मिनी, वि० प्र नि० पद्वि, गया	 12-10-23
3.			
4.	नीतीश कुमार	Cognition Research India Pvt. Ltd. Noida. (Env. Consulting)	
5.	अश्विनी कुमार	Setley	
6.	राकेश कुमार सिंह पिता स्व० रामपुरी सिंह	पिड़ासीन	
7.	अंजलि कुमार सिंह श्री रामचन्द्र सिंह	पिड़ासीन	
8.	मिनेश कुमार सिंह पिता स्व० रामपुरी सिंह	पिड़ासीन	

	अभिनंदन कुमार हुडावरी भादव	मंडौली	अभिनंदन कुमार
10.	उभात सिंह नी बालेश्वर सिंह	पिछायीग	उभात सिंह
11.	मनोज कुमार भादव बालगोविन्द भादव	मंडौली	मनोज कुमार
12.	सिक्न्दर कुमार बैलाश भादव	वहैरा भुरकुण्डा	सिक्न्दर कुमार
13.	मिंदरल भादव मः मोडु भादव	गाम निजौली	मिंदरल भादव
14.	कौशाल कुमार सिंह	निंगरी	कौशाल कुमार सिंह
15.	उमानन्द मोहन सिंह	निंगरी	उमानन्द मोहन सिंह
16.	पुरुषोत्तम कुमार विनोद सिंह	निंगरी	पुरुषोत्तम कुमार
17.	शमभक्ता कुमार श्यामदेव भादव	मखरोर	शमभक्ता कुमार
18.	विनय भादव ५० हरी भादव	मखरोर	विनय भादव
19.	खेलागत भादव ५० लक्ष्मण भादव	मखरोर	खेलागत भादव

20.	पवन कुमार स. के. के. का सहाय	जैरा ठाकुर	पवन कुमार
21.	महेन्द्र भादव	महेन्द्र	महेन्द्र भादव
22.	मालु कुमार रामसिंह भादव	मखरीर	मालु
23.	सतीश कुमार नरेश भादव	मंजोली	Satish
24.	प्रमोद कुमार मोहन भादव	मंजोली	प्रमोद कुमार
25.	रवि शंकर	लाडू	रवि शंकर
26.	Hemant Shekhar Ajay Kumar Sharma	लाडू	Hemant Shekhar
27.	अजय कुमार शर्मा शम नरेश	लाडू 9631276834	
28.	रामकौर पिता श्री मंगल	रतना	रामकौर रतना
29.	रामजतन भादव पिता स. पदार्थ भादव	जैरा ठाकुर	Ramjatan yadav
30.			



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

ई-मेल- msbspcb-bih@gov.in, वेबसाइट-<http://bspcb.bihar.gov.in>



लोक-सुनवाई की सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 एवं यथा संशोधित अधिसूचनाओं के आलोक में राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष निम्नलिखित बालू घाटों का गया जिला में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव विचाराधीन है:-

- मेसर्स बी के इंटरप्राइजेज, प्रस्तावक: श्री ब्रजेश कुमार तिवारी, पूर्वी मोहन बिगहा, डालमियानगर-और शुभाष नगर, डेहरी ऑन सोन, रोहतास द्वारा ब्लॉक: 45 (गया लीलाजन नदी बालू घाट संख्या: 07/08/09/10/11) ग्राम- लारू, पीड़ासीन, मंझौली, मखरौर, बहेरा भुरकुंडा, निगरी अंचल: बोधगया, बाराचट्टी, डोभी, जिला-गया; एवं
- मेसर्स दशमेश कांटेक्टर, प्रस्तावक: श्री हर्षविंदर सिंह, पिता: श्री गुरदीप सिंह, पता: 14/30 ए, पहली मंजिल, तिलक नगर, नई दिल्ली-110018 द्वारा ब्लॉक: 40 (गया बुढ़ नदी बालू घाट संख्या: 04/05/06/07/08), ग्राम: करैया, परारिया, रूपसपुर, खानेतु, कुर्मवान, मझियावां, मरांची, खैरा मोबारकपुर, रामडीह, अंचल: टेकारी, परारिया, कोंच जिला-गया।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा TOR (Terms of Reference) निर्गत की गयी है तथा लोक-सुनवाई की जानी है।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है। जिसमें संभावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित है। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति पर्षद मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, गया; कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गया; महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया एवं जिला खनन कार्यालय, गया के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्षद के वेबसाइट: <http://bspcb.bihar.gov.in> पर भी किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पर्षद कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्षद के ई-मेल- msbspcb-bih@gov.in पर अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती है।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक-सुनवाई निम्नानुसार आहूत किया गया है:-

क्रमांक	दिनांक:	समय	अंचल का नाम	बालू घाट का मौजा	बालू घाट का नाम	लोक-सुनवाई का स्थल
1.	12.10.2023	पूर्वाह्न 10:00 बजे	टेकारी, परारिया जिला-गया	गया जिला अन्तर्गत करैया, परारिया, रूपसपुर, खानेतु, कुर्मवान, मझियावां, मरांची, खैरा मोबारकपुर, रामडीह	ब्लॉक: 40 (गया बुढ़ नदी बालू घाट सं- 04/05/06/07/08)	अंचल कार्यालय, परैया, जिला-गया
2.	12.10.2023	अपराह्न 03:00 बजे	बोधगया, बाराचट्टी, डोभी, जिला-गया	गया जिला अन्तर्गत लारू, पीड़ासीन, मंझौली, मखरौर, बहेरा भुरकुंडा, निगरी	ब्लॉक: 45 (गया लीलाजन नदी बालू घाट सं- 07/08/09/10/11)	अंचल कार्यालय, बोधगया, जिला-गया

सभी आम लोगों/संबंधित से अनुरोध है कि उपरोक्त लोक-सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 गाईड-लाईन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव/विचार से अवगत करायेंगे।

PR. No. 008262 (Ni.Ni.) 2023-24

सदस्य सचिव

उक्त सूचना state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

नशे से बनानी दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है।

